न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सन् 2020

अपील संख्या 12/20

GCMS NO-2020/00024

बउनवानीः—1. कालुराम पुत्र मन्नालाल जाति मीणा उम्र 48 वर्ष पेशा सर्विस निवासी रेलवे कॉलोनी टीआरडी कॉलोनी के पास, सवाई माधोपुर

2. सोहनलाल पुत्र मन्नालाल जाति मीणा उम्र 44 वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी रेलवे कॉलोनी, टीआरडी कॉलोनी के पास, सवाई माधोपुर

3. बिरदीचन्द पुत्र मन्नालाल जाति मीणा उम्र 40 वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी रेलवे कॉलोनी, टीआरडी कॉलोनी के पास, सवाई माधोपुर

बनाम

भूरालाल पुत्र श्री लड्डूलाल जाति खटीक निवासी रेलवे कॉलोनी, टीआरडी कॉलोनी के पास, सवाई माधोपुर (फौत)

1/1. श्रीमति कस्तूरी पत्नि स्व० भूरालाल जाति खटीक उम्र 70 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर

1/2. रमेश पुत्र स्व० भूरालाल जाति खटीक उम्र 55 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर (मृतक)

1/2/1. श्रीमति मीना पत्नि स्व. रमेश खटीक नि0 रेल्वे कॉलोनी सवाईमाधोपुर

1/2/2. रेखा पुत्री स्व. रमेश खटीक नि0 रेल्वे कॉलोनी सवाईमाधोपुर

2. लच्छ वल्द लड्डूलाल जाति खटीक उम्र 58 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी, टीआरडी कॉलोनी के पास, सवाई माधोपुर

1. रामकंवार वल्द सुखजी जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम आलनपुर ढाणी गोपालपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी रामदेवरा बैरवा की धर्मशाला जैसलमेर

2. कालू वल्द सोल्या जाति खटीक उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम खेरदा, खेरदा की पुलिया के नीचे तहसील व जिला सवाई माधोपुर

3. चिरंजीलाल वल्द नारायण जाति खटीक उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम खेरदा, सरस्वती स्कूल के पास तहसील व जिला सवाई माधोपुर

4. संन्त श्री दुर्बलनाथजी जी सेवा समिति, सवाई माधोपुर जरिये सदस्यगणः

ए— लल्लूलाल बसवाल पुत्र श्री रामप्रताप बसवाल जाति खटीक उम्र 73 वर्ष निवासी 75, बाल मन्दिर कॉलोनी, सवाई माधोपुर

बी— सूरजमल खटीक पुत्र शिवबख्शा खटीक जाति खटीक उम्र 57 वर्ष निवासी 2, प्रेम मन्दिर कॉलोनी, सवाई माधोपुर

सी— सुरेश चन्द खटीक पुत्र श्री बाबूलाल जाति खटीक उम्र 45 वर्ष निवासी बेरदा, हाल विज्ञान नगर रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर

डी— बाबूलाल राजोरा पुत्र श्री नारायणलाल राजोरा नि. बौंली जिला सवाई माधोपुर

ई— मोहनलाल पुत्र जमनालाल जाति खटीक उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

एफ— जगदीश प्रसाद पुत्र गोपीलाल जाति खटीक उम्र 63 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर

जी— मदनलाल पुत्र मांगीलाल जाति खटीक उम्र 61 वर्ष निवासी विज्ञान नगर, रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर

एच— रूपचन्द सोयल पुत्र श्री रामनारायण सोयल जाति खटीक उम्र 40 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी सवाई माधोपुर

7. तहसीलदार महोदय, तहसील सवाई माधोपुर

8. सहायक भू—प्रबन्ध एवं भू—लेखालधिकारी, सवाई माधोपुर

9. नगर परिषद सवाई माधोपुर जरिये अधिशाषी अधिकारी, सवाई माधोपुर

.....(1).....

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामान्तरकरण संख्या 496 दिनांक 5.8.1988 व नामा0 संख्या 58 वाके ग्राम आलनपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री भौलाशंकर शर्मा — वकील अपीलान्टगण
2. श्री कमलेश कुमार जैन/रविन्द्र सिंह/आदिल वसीम — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— दिनांक 25.3.2026

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 495 दिनांक 5.8.1988 व नामा0 संख्या 58 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि नोन्दाराम मीणा की स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि है जिसकी मृत्यु उपरान्त बतौर उत्तराधिकारी उक्त विवादित कृषि भूमि ख०नं० 576 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा हिस्सा 1/2, 14 बीघा ढाई बिस्वा बतौर खातेदार फूलचन्द मीणा, मन्नालाल मीणा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। फ्रोडपूर्वक मंगल्या पुत्र गोरीलाल बैरवा निवासी आलनपुर द्वारा यह जानते हुये कि खातेदार फूलचन्द व मन्नालाल पिसरान नान्दा जाति से मीणा है। उनसे फर्जी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1975 को रजिस्टर्ड करा लिया। धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कोई अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति भिन्न जाति में विक्रय पत्र, भेंट, वसीयत रजिस्टर्ड, नही करा सकता अर्थात गैर जाति में किसी भी खातेदारी जमीन का ट्रांसफर किया जाना प्रारम्भिक रूप वोईड दस्तावेज है। जिसके आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते। अपीलाण्टगण के पूर्वज जाति से मीणा है। और अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है। ऐसा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जिससे कोई कृषि भूमि अन्य जाति में हस्तान्तरित की गई हो वह प्रारम्भिक रूप से वोईड है। जिसे निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नही है। कामद बनाम राजस्व मण्डल 1986 आरआरडी पेज 51 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया कि 13.09.1963 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति स्वयं की जाति के अलावा अन्य जाति में ट्रांसफर करता है तो वह प्रारम्भिक रूप से शून्य माना है। ऐसे में उक्त नामान्तकरण गलत रूप से तस्दीक किया गया है और उसके उपरान्त समस्त कार्यवाही स्वतः ही वोईड है। राजस्थान राज्य बनाम गोविन्दी लाल 1989 आरआरडी पेज 47 शून्य सहव्यवहार के कारण क्रेता को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकता। और इसी प्रकार 1990 आरआरडी पेज 212, में भी यह ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। खसरा नम्बर 576 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 210 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.54 है0 (यहाँ कई खसरा नंबरों की सूची है) बनाये गये। मन्नालाल मीणा अपीलाण्ट के पिता थे जिनके 14 बीघा ढाई बिस्वा जमीन स्वामित्व एवं खातेदारी की थी। जिसका गैर कानूनी रूप से फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक कराया गया। इस प्रकार जब प्रथम दृष्टया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1975 ही वोईड है। उसके आधार पर खोला गया नामान्तकरण संख्या 495 दिनांक 05.08.1988 क्रम संख्या 58 तस्दीक किया है वोईड शून्य है। उसके उपरान्त समस्त ट्रांसफर जिसमें गिफ्ट डीड भूरालाल खटीक बहक दुर्बल नाथजी सेवा समिति दिनांक 25.01.2019 को और इसके आधार पर बनाये गये नगर पालिका के पट्टे भूरालाल के हक में तथा अन्य सभी ट्रांसफर वोईड होने के कारण उक्त भूमि पुनः अपीलाण्टगण कालुराम,

.....(2).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

सोहनलाल, बिरदीचन्द के नाम रिकार्ड दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत सन् 1955 से प्रभावी है। और कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस प्रकार की भूमि जिसका विक्रय, भेंट, वसीयत, गिफ्ट वोईड है। और ऐसे वोईड दस्तावेज के आधार किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही होता है। ऐसे में रिकार्ड पुनः अपीलाण्टगण के नाम तथा किस्म पुनः कृषि किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। यह भी अंकित किया कि फ्रोडपूर्वक कराया गया विक्रय पत्र 05.06.1975 का है और 07.04.1976 को नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, वो भी प्रारम्भिक रूप से वोईड है। इसके उपरान्त किये गये सभी विक्रय पत्र, दान पत्र, या अन्य हस्तान्तरण जिसमें पट्टा आदि प्राप्त किया गया सभी शून्य एवं निष्प्रभावी है। यह भी अंकित किया कि किसी भी वोईड दस्तावेज को कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में दिनांक 25.12.2019 को मौके पर आकर नापचोक करने पर प्रथम जानकारी हुई जिससे अपील प्रस्तुत की गई है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा–5 के पेश कर निवेदन है कि दिनांक 05.06.1975 के शून्य एवं निष्प्रभावी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया नामान्तकरण व इसके उपरान्त सभी प्रकार के अन्तरण एवं हस्तान्तरण शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण पुनः प्रार्थी अपीलाण्टगण के हक में स्थिति रेस्टोर करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी लिखित बहस मे अंकित किया कि अपीलांट द्वारा नामांतरण संख्या 495 व नामांतरण संख्या 58 दोनो ही नामांतरण की अपील एक साथ की गई है जो मिस जोईन्डर ऑफ फेक्ट की तारीफ में आती है जिसकी अपील खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है चूँकि अपील 32 साल बाद प्रस्तुत की गई है साथ ही दफा 5 के प्रार्थना पत्र में कोई भी संतोषजनक व कारण दर्शित नही किये गये है जिससे अपील की मियाद को किसी भी प्रकार से माफ किये जाने योग्य नही है। जिससे अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपनी अपील मिमो में दिनांक 25.12.2019 द्वारा नापचोप करने पर अपीलांट को विक्रय पत्रों व नामांतरण की नकले दिखाने पर सर्वप्रथम जानकारी होने के तथ्य भी अपीलांट द्वारा गलत दर्ज किये गये है जबकि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहां पर दावा बाबत् बंटवारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 25.11.2007 को प्रस्तुत किया गया था जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त नामांतरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 25.11.2007 को ही जानकारी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी अपीलांट सन् 2020 तक खामोश रहे व अपील में नामांतरण की जानकारी का इल्म 25.12.2019 मानकर अपील की गई है। जो सरासर गलत है जिससे अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहा पर जो वाद पत्र काल्या वगैरा बनाम प्रेमनारायण वगैरा के नाम से चल रहा है जिसमें आगामी पेशी 31.12.2025 नियत है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है चूँकि नामांतरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है व वाद परीक्षण न्यायालय में लम्बित है मूल वाद के लम्बित रहते हुये नामांतरण की कार्यवाही नही चल सकती है इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है। फूलचंद व मन्नालाल से मंगल्या द्वारा विवादित आराजीयात 05.06.1975 को खरीद की गई थी व मंगल्या बैरवा से रेस्पोडेन्ट द्वारा उपरोक्त आराजीयात खरीदी गई व रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में आ जाने के बाद उपरोक्त आराजीयात के भूमि रूपान्तरण करवाया गया व भू० रूपान्तरण होने के बाद उपरोक्त खसरा नम्बरान् में पक्के मकान 15 वर्ष से बने हुये है काफी आबादी उपरोक्त मकानो मे रह रहे है और सभी जानकारी अपीलांट को है जिससे अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है व उपरोक्त सभी आराजीयात सिवायचक नगर पालिका सवाई माधोपुर होने के बाद उपरोक्त आराजीयात के मकान वगैरा का निर्माण बेचान सही तरीके से किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार की फ्रोड नही हुई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत निवेदन किया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील उभयपक्षो द्वारा किये गये कथन पत्रावली मे उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आदेश जैर अपील से संबंधित विवादित भूमि ख0न0 576 रकबा 26 बीघा 5 बिस्वा हिस्सा 1/2, 14 बीघा ढाई बिस्वा बतौर खातेदारी फूलचन्द,मन्नालाल के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही थी अपीलान्ट के पिता जाति से मीना होने के बावजूद भी फाडपूर्वक मंगल्या पुत्र गोरीलाल बैरवा को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 5.6.1975 से बैचान कर देने से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट धारा 42 का उल्लंघन हुआ है क्योकि अनूसूचित जनजाति की भूमि का अनूसूचित जाति के व्यक्ति को अवैधानिक रूप से बैचान किया गया है ओर इस प्रकार का विकयपत्र प्रारम्भत शुन्य माना जावेगा एवं ऐसे विकयपत्रों के आधार पर दर्ज किये गये नामा0 भी प्रारम्भत शुन्य माना जावेगा। रेस्पो. के अनुसार अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.11.2007 को उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे वाद दायर किया गया जिससे उक्त आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को उक्त दिनांक को थी जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील 25.12.2019 को पेश की गयी है। इस प्रकार अपील मयाद बाहर पेश की गयी है तथा एक साथ दो नामा0 कमश नामा0 संख्या 495 व 58 के विरूद्व एक ही अपील पेश की गयी है जबकि कानूनन पृथक पृथक अपील पेश करनी चाहिए थी। आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि को लेकर उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे वाद विचाराधीन है जिसमे पक्षकारान के अधिकार तय होने है। इस अपील के माध्यम से अपीलान्ट अपने अधिकार तय नही करवा सकते है। विवादित भूमि का आबादी मे सम्परिवर्तन होकर वर्तमाान मे नगरपालिका के नाम सिवायचक दर्ज है तथा सम्पूर्ण भूमि पर कई व्यक्तियों के मकानात बने हुए है ऐसी स्थिति मे प्रभावित पक्षकारान को सुने बिना उक्त नामा0 को खारिज नही किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त नामा0 से संबंधित भूमि का अनुसूचित जानजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अवैद्य बैचान होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 42 का उल्लंघन पाया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसी भूमि को राजकीय भूमि घोषित करवाया जाना उचित समझते है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश जैर अपील सें संबंधित भूमि के बैचान से राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम,1955 की धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। अतः उक्त विवादित भूमि को राजकीय भूमि घोषित करवाने की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..3.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner